



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032024-252568
CG-DL-E-02032024-252568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 141]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सा.का.नि. 153(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962, परिशिष्ट II में, आई. टी. आर. 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप	आ.क.वि-7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139(4क) या धारा 139(4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखिए)		निर्धारण वर्ष								
		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> </table>						2	0	2	4	-
2	0	2	4	-	2	5						
भाग क साधारण												
व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)			(क2) स्थायी लेखा संख्याक								
	(क4) फ्लैट / द्वार / ब्लॉक सं.			(क5) परिसर/भवन/ग्राम का नाम			(क3) विरचना/निगमन की तारीख (ता.मा.व)					
	(क6) सड़क/मार्ग/डाकघर			(क7) क्षेत्र / अवस्थान			(क11) प्रास्थिति (निर्देश पैरा 11ख देखें)					
	(क8) नगर/शहर/जिला			(क9) राज्य			(क12) उपप्रास्थिति (निर्देश पैरा 11ख देखें)					
	(क10) पिनकोड/ जिप कोड			(क11) प्रास्थिति (निर्देश पैरा 11ख देखें)			(क12) उपप्रास्थिति (निर्देश पैरा 11ख देखें)					
(क13) कार्यालय का दूरभाष संख्या एस.टी.डी कोड सहित / मोबाईल संख्या			(क14) मोबाईल सं.2			(क15) ई मेल पता -1						
(क16) ई मेल पता -2												
(क17)(i) धारा □ 139(4क) □ 139(4ख) □ 139(4ग) □ 139(4घ) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी												
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (डाउनलोड दिया जाए)												
(क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे												
क्र. सं.	परियोजना/संस्था का नाम (अनुदेश देखें)			क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश देखें)			वर्गीकरण (अनुदेश देखें)					
1												
2												
3												
4												
(क19) आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों) (जब निर्यात रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन स्वीकृत हो चुका है तो अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन का विवरण अनिवार्य नहीं है)												
क्र. सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित/ अधिसूचित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिफ रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन प्रभावी है							
1												
2												
(क20) आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (विदेशी अंशदान विनियमन) अधिनियम, 2010 नीति आयोग के दर्पण पर रजिस्ट्रीकरण तथा सेबी के साथ रजिस्ट्रीकरण)												
क्र. सं.	जिस विधि के अधीन/ पोर्टल जिसी पर रजिस्ट्रीकरण है	'किसी अन्य विधि' के मामले में ब्यौरे दें	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है।						
1												
2												

फाइल करने की प्रस्थिति	(क21) (क)	धारा के अधीन फाईल(चिह्नकित करें) (कृपया अनुदेश देखें)	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- देय तारीख के पश्चात्, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, ☐ 92गघ उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2) (ख) - विलंब की माफी के पश्चात्																						
	(कii)	या धारा के अधीन सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153ग																						
	ख)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की पावती संख्या प्रविष्ट करें और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						- / - / -
	(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश की प्रतिक्रिया में फाइल की गई है तो विशिष्ट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें अथवा यदि धारा 92गघ के अधीन भरी गई है तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	(विशिष्ट संख्या)								/ /														
	(घ)	आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी																							
	(ङ)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हाँ, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]																							
	(च)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) ☒ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें:-																							
		(1) प्रतिनिधि का नाम																							
		(2) प्रतिनिधि की हैसियत (झापडाउन दिया जाए)																							
		(3) प्रतिनिधि का पता																							
		(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार सं.																							
	(छ)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) ☒ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें																							
		फर्म का नाम	स्थायी खाता संख्यां																						
	(ज)	विधिक आस्ति व पहचानकर्ता (एल इ आई) के ब्यौरे (आज्ञापक यदि 50 करोड़ या उससे अधिक का प्रतिदाय है):																							
		एलआई संख्याक	तारीख तक वैध					ता/म/व																	

क 22	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध आस्ति के अंश/शेयर धारित किये हैं। निशान लगाएं ☒ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ तो कृपया आस्ति व शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रविष्ट करें।												
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष
				शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अन्य ब्यौरे	(क23)	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हाँ तो										
			क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है?								☐ हाँ ☐ नहीं
				ii	यदि हाँ, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति के प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां								%
			ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?								☐ हाँ ☐ नहीं
			ii	यदि हाँ, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां								%	

		ii	यदि 'क' अथवा 'ख' हाँ है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां	
			क्रस.	प्रयोजन /संस्था का नाम
			क	ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि
			ख	
(क24)	i	क्या वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों / क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था		☐ हाँ ☐ नहीं
	ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-		
		क	उक्त परिवर्तन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	___/___/____
		ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख)/ धारा 12क उपधारा(1) उपधारा के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार तीस दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है	☐ हाँ ☐ नहीं
		ग	क्या नया रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण धारा 112कख के अधीन स्वीकृत दिया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	___/___/____
(क25)	क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?			☐ हाँ ☐ नहीं
(क26)	क्या धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के उपबंध अनुप्रयोज्य है?			☐ हाँ ☐ नहीं
	यदि हां कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रस्तुत करें क्या:-			
(क)	धारा 2 के खंड 15 के परंतुक के उपबंध लागू हैं			☐ हाँ ☐ नहीं
(ख)	10(23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तें/धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड ख के उपखंड (i) का उलंघन			☐ हाँ ☐ नहीं
(ग)	(10(23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तें/धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड ख के उपखंड (ii) का उलंघन			☐ हाँ ☐ नहीं
(घ)	10(23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तें/धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड (खक) का उलंघन			☐ हाँ ☐ नहीं
(क27)	(i) क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? ☒ का निशान लगाएं ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें:			
	(ii) किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)			
	संपरीक्षक जानकारी	क	कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक का नाम	
		ख	संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक	
		ग	संपरीक्षक का नाम (स्त्वधारी/फर्म)	
		घ	स्त्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक/आधार सं.	
		ङ	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख	
		च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/...../..... तारीख/मास/वर्ष	
	छ	संपरीक्षा रिपोर्ट की अस्वीकृती संख्या		
	ज	यू डी आई एन		
(क28)	(i)यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें ।			
		अधिनियम और धारा	(तारीख/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा
				(तारीख/मास/वर्ष)

[illegible]

अनुसूची आई.ए		धारा 11(3) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में कर संचित आय का विवरण				
वि. व	नि.व.	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची आई के स्तंभ 6 में संदर्भित राशि पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)				
	संचयन वर्ष (वित्त वर्ष)	2020-21 (क)	2021-22 (ख)	2022-23 (घ)	2023-24 (ड)	कुल (ड.) (क+ख+ग+घ)
	2018-19					
	2019-20					
	2020-21					
	2021-22					
योग						

अनुसूची घ		धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन आय के समझे गए अनुप्रयोग						
वर्ष जिसमें आय अनुप्रयुक्त किया जाना समझा जाए	पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली समझी गई रकम	समझे जाने वाले अनुप्रयोग का कारण आवेदन के कारण (क) वह आय जो उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है (ख) कोई अन्य कारण	दावा किए गए समझे गए अनुप्रयोग में, अनुप्रयुक्त की जाने वाली रकम	किसी पूर्ववर्ती वर्ष की रकम जिसपर कर लगाया है	दावा किए गए समझे गए अनुप्रयोग में से, चालू निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली	पूर्ववर्ती वर्षों में दावाकृत समझे गए अनुप्रयोग की रकम जिसे चालू निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त किया गया	धारा 11 (1ख) के अधीन वह रकम जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त न सकी तथा आय समझी गई	समझे गए अनुप्रयोग के कारण पूर्ववर्ती वर्षों में दावाकृत छूट होने के कारण समझी गई आयकी शेष रकम और जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगे अनुप्रयुक्त किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)=(4-6)
ड्रापडाउन दें		ड्रापडाउन दें						
2023-24		ड्रापडाउन दें						
योग								

अनुसूची डी.ए		धारा 11 (1ख) के अनुसार पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर लगाई संचित आय का विवरण					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची घ के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट रकम पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)						
	वित्त वर्ष 2020-21 से पूर्व	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल	
संचयन वर्ष (वित्तीय वर्ष)							
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च) (क+ख+ग+घ+ड)	
वित्तीय वर्ष 2018-19 से पूर्व							
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
कुल							

[illegible]

इ	उस (समुत्थानो) में, जिनमें धारा 13(3) धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान							
	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसका निशान लगाएं ☒)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्व वर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं
	ii		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं
	iii		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं
	iv		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं
	v		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं
	vi		☐ हाँ ☐ नहीं					☐ हाँ ☐ नहीं
		योग						

ई	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान					
	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है? (जो लागू हो ☒ का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i		☐ हाँ ☐ नहीं			
	ii		☐ हाँ ☐ नहीं			
	iii		☐ हाँ ☐ नहीं			
	iv		☐ हाँ ☐ नहीं			
v	योग					

उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तन नहीं किया गया है					
	क्र. सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
	iii					
iv	योग					

भाग क-खध		31 मार्च, 2024 को समेकित संतुलन पत्र				
निधियों का स्त्रोत	क	कोष स्त्रोत				
	1	कोष स्वामित्व				
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन को या उसके पश्चात् 01.04.2020 अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस			1क	
	ख	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष			1ख	
	ग	(क) एवं (ख)के अलावा प्राप्त कोष			1ग	
	घ	धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय			1घ	
	ङ	डीमंड आय की शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में छूट का दावा डीमंड आवेदन के कारण तथा अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2023-24 से आगे आवेदित			1ङ	
	च	कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)				
		i	प्रकृति निर्दिष्ट करें	i		
		ii	प्रकृति निर्दिष्ट करें	i		
		iii	कुल (का + कii.)		1चiii	
	छ	कुल कोष (क+ ख+ग+घ+ङ+च)			1छ	
	2	ऋण व उधार				
	क	सुरक्षित ऋण	क			
	ख	असुरक्षित ऋण(जमा सहित)	ख			
	ग	कुल ऋण कोष (क+ ख)			2ग	
	3	अग्रिम			3	
	4	कोष स्त्रोत (1च+ 2ग +3)			4	
निधियों का स्त्रोत	ख	निधियों का अनुप्रयोग				
	1	अचल आस्तियां				
	क	सकल अचल आस्तियां			1क	
	ख	मूल्यहास			1ख	
	ग	शुद्ध अचल आस्तियां (1क-1ख)			1ग	
	2	निवेश			2	
	3	वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	वर्तमान आस्तियां				
		i	माल	i		
		ii	विविध देनदार	ii		
		iii	नकद व बैंक बैलेंस			
		क	बैंक में बैलेंस	iii क		
		ख	पर्याप्त नकदी	iii ख		
		ग	अन्य	iii ग		
		घ	कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iii क + iii ख + iii ग)		iii घ	
		iv	अन्य वर्तमान आस्तियां		iv	
		v	कुल अन्य आस्तियां (i +ii + iii घ + iv)		कv	
	ख	ऋण व अग्रिम			ख	
	ग	कुल (कv + ख)			ग	
	घ	वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान				
		i	वर्तमान देनदारी			
		क	विविध लेनदार	क		
		ख	अन्य लेनदार	ख		
		ग	कुल (क + ख)		ग	
		ii	प्रावधान		ii	
		iii	कुल (ग + ii)		घiii	
	ङ	शुद्ध वर्तमान आस्तियां(4ग – 4घiii)			3ङ	
		4	संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)			4
		5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3+4ङ)			5
		6	5 के अलावा , धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में किया गया निवेश			6
		7	5 के अलावा , धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश			7

अनुसूची द कोष के अनुसूची जे तथा बैलेंस का मिलान			
विवरण	01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित स्थानों के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	(1) तथा (2) के अलावा कोष
	(1)	(2)	(3)
(क) अनुसूची जे के अनुसार 31.03.2024 को समापन शेष			
(ख) अंतर के कारण (+/-) (खi+खii+खiii)			
i) अचल परिसंपत्ति का क्रय			
ii) मूल्य अवक्षरण			
iii) कोई अन्य कारण (कृपया लिखें)			
(ग) बैलेंस शीट (क + ख) के अनुसार 31.03.2024 को समापन शेष			

अनुसूची ठक राजनीतिक पार्टी			
1	अ) क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?	☐ हाँ ☐ नहीं	
	क यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।		
	ख पंजीकरण तारीख	/...../.....	
	आ) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	
	क यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति की तिथि		
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थी? जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं	☐ हाँ ☐ नहीं	
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हाँ ☐ नहीं	
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-		
	क लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	ख लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम		
	ग लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या		
	घ लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)		
	ङ स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.		
	च लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)		
	छ लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख		
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हाँ ☐ नहीं	
	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथि /माह/वर्ष)	/...../.....	
5	क क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
	ख यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
6	क्या पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☒ करें)	☐ हाँ ☐ नहीं	
7	कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:		
	क वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क	
	ख वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रू. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	7ख (खi+खii)	
	i. नकद में	7खi	
	ii. नकद के अलावा अन्य मोड़	7खii	
	ग वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 2,000रू. से 20,000रू. के बीच प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7ग	
	घ वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रू. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	

अनुसूची डन		निर्वाचक न्यास	
निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थी?	☐ हाँ ☐ नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वेष्टिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे? जैसा लागू हो [X] का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार [X] का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार [X] का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
		यदि हाँ तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है? (जैसा लागू हो [X] का निशान लगाएं)	☐ हाँ ☐ नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वेष्टिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
	v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v
	vi	योग (iv+v)	vi
	Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii
	viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष (iii)-(iv)	Viii

अनुसूची फग		स्वेष्टिक अभिदाय (आई.टी.आर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)	
अ	अ	घरेलू अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)	
	i	समग्र संदान	आi
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आक
	ख	उपयुक्त के अलावा कॉर्पस	आख
	ii	समग्र संदान के अतिरिक्त	आii
	(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान	
	(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान	
	(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान	
	(घ)	अन्य संदान	
	(ङ)	कुल	आiiङ
	iii	घरेलू स्वेष्टिक अभिदाय (आ + आiiङ)	आiii
	आ	विदेशी अभिदाय (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)	
	i	समग्र निधि संदान	आ i
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आ iक
	ख	उपयुक्त के अलावा कॉर्पस	आ iख
इ	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii
	iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)	आiii
	iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया	आ iv
	इ	कुल अभिदाय (आiii + आiii)	इ
	ई	अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारित पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग) (vi)क या 10(23ग)(iii)कघ या 10(23ग)(iii)क½ के अधीन छूट का दावा कर रहा है]	
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i
	ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उच्चतम हो	ii
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i - ii) की दर से कराधेय अनाम अभिदाय	iii
			{नकारात्मक होने पर शून्य लिया जाएगा}
	उ	(अनुसूची फग की क्रम सं. ईiii से भिन्न अनाम संदान(अनुसूची फ ग का ई से ईiii)	उ

अनुसूची एआई		ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]			
आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1		
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2		
	3	किराया	3		
	4	कमीशन	4		
	5	लाभांश आय	5		
	6	ब्याज आय	6		
	7	कृषि आय	7		
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8		
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			
		प्रकृति	क	रकम	
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क		
	ख		ख		
	ग		ग		
	घ		घ		
	ड	कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)	ड		
10	कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9) (कृषि आय के अलावा)		9ड		
			10		

अनुसूची-ए		न्यास/ संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्त्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तालिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारित] द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(viक) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा]				
अ	ट्रस्ट/संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन			राज स्व	पूं जी	कु ल
	1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टि यहां करना आवश्यक है)	1			
	1क	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85%	1क			
	2	धार्मिक	2			
	3	गरिबों के लिए अनुतोष	3			
	4	शिक्षा	4			
	5	योग	5			
	6	चिकित्सा अनुतोष	6			
	7	पर्यावरण संरक्षण	7			
	8	समारकों आदि का संरक्षण	8			
	9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता	9			
	10	आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता	10			
	11	धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत	11			
	12	कुल (अ 1 से अ 11)	अ 12			
आ	ग2 से ग7 (ख1 + ख 2 + ख3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए			आ		
	1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1			
	2	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2			
	3	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है।	3			
	4	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4			
	5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5			
	6	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	6			
	7	न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	7			
	8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8			
इ	पंक्ति क में पूंजी आवेदन तथा राजस्व जुटाने हेतु निधि का स्त्रोत (क्रम सं. अ12 में क्रम सं. इ2 से इ7 में			इ		

विस्तारित रकम)					
1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1			
2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तिसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2			
3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दाव किया हो)	3			
4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4			
5	कॉर्पस	5			
6	उधार ली गई निधि	6			
7	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7			
ई	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7]	ई			
उ	'ई' के बाहर पूर्व वर्ष के दौरान रकम जो वास्तव में उपयोजित नहीं की गई(यदि यह क्रम सं. क12 में सम्मिलित है तो)	उ			
ऊ	राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऊ			
ए	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए			

अनुसूची आई.ई-1 आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(23ककक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(46क), धारा 10(46ख), धारा 10(47) के अधीन (छूटे गणनीयता या आय शर्तों के शीर्ष के अधीन नहीं होगी।)			
1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
3	संचित आय	3	

अनुसूची आई.ई-2 आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू) (जहां आय के केवल कतिपय शीर्ष कराधेय और नीचे पंक्ति 4 में रिपोर्ट की गई अन्य प्राप्तियां छूट प्राप्त है)			
अ	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां(पंक्ति ख के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले कराधेय शीर्षों के अधीन आने वाली प्राप्तियों के सिवाय)	1	
	2 संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
	3 संचित आय	3	
आ	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्निकित)	□हां □नहीं	
	क गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1 क □हां □नहीं	
	ख कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1 ख □हां □नहीं	
	ग पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1 ग □हां □नहीं	
	घ अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1 घ □हां □नहीं	

अनुसूची आई.ई-3 आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कख या 10(23ग)(iii)कग] के अधीन छूट का दावा कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें)(छूट , स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक, सरकारी अनुदानों के अधधीन होगी) :			
1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):		
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं		
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां		
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान		
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम		
6	संचित अतिशेष		

अनुसूची आई.ई-4 आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कघ या 10(23ग)(iii)ड] के अधीन छूट का दावा कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें) (छूट सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से पांच करोड़ रूपए से अनधिक कुल प्राप्तियों के अधीन होगी):			
1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):		
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं		
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां		
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम		
5	संचित अतिशेष		
	(उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम संख्या 5 के लिए पंक्ति जोड़ने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।)		
	कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि(क्रम सं. 3 की राशि)		

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डापडाउन उपलब्ध किया जाए)(छूट सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से पांच करोड़ रूपए से अनधिक कुल प्राप्तियों के अधीन होगी।)									
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड					
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)									
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता (%)									
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.				संपत्ति में अंश की प्रतिशतता				
		I									
		II									
		लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (यदि उपलब्ध हों)				किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)			
		I									
		II									
		क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य				1क				
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख				
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर				1ग				
		घ	योग (1ख + 1ग)				1घ				
		ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)				1ङ				
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च				
	छ	1च का 30%				1छ					
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				1ज					
	झ	योग (1छ + 2ज)				1झ					
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया /वसूलनीय किराया				1ञ					
	ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)				1ट					
		(प्रत्येक संपत्ति का विवरण अलग से भरे)									
	2	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *				3					
	3	"गृह संपत्ति से आय " शीर्ष के अधीन आय (1 ज + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का अंक 2झ लें)				4					
टिप्पण ▶		किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है। किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।									

सूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ			
क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)				
1					
	विक्रय / अर्जन की तारीख	दिन /मास /वर्ष	बिक्री/अंतरण की तारीख	दिन /मास /वर्ष	
पूंजी अभिलाभ	क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क i	
		ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारिक अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii	
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	तुलन (क iii - ख iv)			1 ग
	घ	धारा 54 छ /54 छ क के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			1 घ

		ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)							क 1 ड	
		च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)								
			क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य	
		टिप्पण ►	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें								
		2	स्लम्प बिक्री से								
		क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2कi				
			ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2कii				
			iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)			2कiii				
		ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख					
		ग	स्लम्प की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2ख)								क 2 ग
		3	ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परन्तुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है								
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					3 क			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii				
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii				
			iv	योग (i + ii + iii)			ख iv				
		ग	शेष (3 क - ख iv)					3 ग			
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)					3 घ			
		ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड + 3 घ)								क 3 ड
		4	अनिवासियों के लिए जो एफ आई आई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)								
		क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है					क 4 क			
		ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनके पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है					क 4 ख			
		5	अनिवासियों की दशा में - धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)								
		क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-							
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			i क				
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			i ख				
			ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)			i ग				
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य			क ii				
			iii	कुल (i ग + ii)			क iii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii				
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii				
			iv	योग (i + ii + iii)			ख iv				
		ग	शेष (5 क iii - ख iv)					5 ग			

			धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
		ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड + 3 घ)		क 5 ड	
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से					
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क		
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii		
		iii	कुल (ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शेष (6 क iii - खiv)		6 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)		6 घ		
			अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ड		
	च	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती		6 च		
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग + 6 घ + 6 ड - 6 च)			क 6U	
7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
	क	क्या नीचे दिए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएँ				
		क्र. सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i	2020-21	54छ /54छक		
		ii	2021-22	54छ /54छक		
		iii	2022-23	54छ /54छक		
	ख	धारा 54 ख	से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			

			धारा 54 ख /54 घ /54 छ /54 छक लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (Xi + Xii + Xiii + ख)							क7												
		8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)							क8												
			क	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8क													
			ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8ख													
			ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8ग													
		9	क 1 – क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है																			
			क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है										
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)										
			I																			
			II																			
			क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि								क9क										
			ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीजीटी की कुल रकम								क9ख										
		10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क8 - क9क)									क 10										
	ख	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं)																				
		1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक रूप से भरें)																			
			विक्रय / अर्जन की तारीख			दिन /मास /वर्ष			बिक्री/अंतरण की तारीख			दिन /मास /वर्ष										
			क	i	प्राप्त /प्राप्त प्रतिफल का पूरा मूल्य				कi													
				ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				कii													
				iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]				कiii													
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ																		
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i													
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii													
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii													
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv													
			ग	शेष (क iii – ख i v)					1 ग													
			घ	धारा 54 घ/ 54 डग/ 54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ													
			ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)																		
			च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)																		
				क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य											
			टिप्पण ► यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं. देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।																			
		2	स्लम्प बिक्री से																			
			क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2कi													
				ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2कii													
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य(क i या क ii का अधिकतम)				2कiii													

			ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2ख		
			ग	शेष (2कiii - 2 ख)	2ग		
			घ	धारा 54डग के अधीन कटौती	2घ		
			ड	स्लम्प के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)			
		3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)				
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
			ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)		ख 3 ग	
		4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहाँ धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।				
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			
			ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)		4 ग	
		5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
			उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ				5ख
		6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मूद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
			सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ				6 ख
		7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा।)				
			क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
				क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क		
				ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
				ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
				ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
				iii कुल (iग + ii)	क iii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
				i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
				ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
				iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
				iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
			ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)		ख7ग	
		8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
			उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ				ख8
		9	आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं				
			क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			

				क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क				
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख				
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग				
				ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii				
				iii	कुल (ग + ii)	क iii				
				ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
				iii	पूर्णता या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
ग	अतिशेष (क iii- खiv)	7 ग								
घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7 घ								
ड	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)			ख 9 ड						
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं								
क	क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई पूर्ववर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि				
	i	2020-21	54घ /54छ /54छक							
	ii	2021-22	54घ /54छ /54छक							
	iii	2022-23	54घ /54छ /54छक							
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + xii+ xiii + ख)						ख10			
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख12क1+ ख12क2 + ख12ख)						ख11			
12	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क1							
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क2							
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य	ख 11ख							
	एलटीसीजी की रकम जो ख1-ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य दावा नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई अप्रभार्य कर की कुल राशि						ख12क		

		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य कर दावा की गई एलटीसीजी की कुल राशि				ख12ख	
	13		कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)				ख 13	
	ग1		पूँजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी गई तालिका ड के 9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii)				ग1	
	ग2		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. ख)				ग2	
	ग3		“पूँजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग2)				ग3	
	घ		पूँजीगत अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी					
	1		धारा 54घ / धारा 54डग/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें					
			54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा					
		क	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष		
			ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii			
			iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष		
			iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv			
				(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड		
				दिन/ मास/ वर्ष				
			v	दावाकृत कटौती की राशि	क v			
			धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती					
		ख	i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष		
			ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)	ख ii			
			iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष		
			iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv			
			धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती					
		ग	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष		
			ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii			
			iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष		
			iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv			
				(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड		
				दिन/ मास/ वर्ष				
			v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v			
			धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती					
		घ	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष		
			ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii			
			iii	एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष		
			iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv			
				(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड		
				दिन/ मास/ वर्ष				
			v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v			
		ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)				ड	

क्र. सं.	पूँजी अभिलाभ की प्रोद्घवन / प्राप्ति के बारे में जानकारी					
	पूँजी अभिलाभ का प्रकार/ तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iv)	16/3 से 31/3 तक (v)
1	15% की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ					
2	30% की दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ					
3	लागू दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ					
4	डी टी ए ए दर पर कर योग्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ					
5	10 % की दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
6	20 % की दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
7	डी टी ए ए दर पर कर योग्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
8	30% की दर पर वर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण पर पूँजी अभिलाभ					

अनुसूची वी.डी.ए		धारा 115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
		टिप्पण: प्रत्येक अंतरण का ब्योरा भरा जाएगा जिसमें प्रत्येक स्थानांतरण अंतरित किया जाता हो				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगाया जाना है (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (क) धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है (ख) किसी अन्य मामले में पिछले स्वामी की लागत ।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्ति सम्मिलित करें						
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक कारबार आय की राशि)						(अनुसूची बी. पी की मद सं. क 3घ)
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूँजीगतलाभ की समस्त सकारात्मक आय राशि)						(अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय		
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1
	क	लाभांश, सकल (का+काii)		1क
	i	धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय		काi
	ii	(i) के अलावा लाभांश आय		काii
	ख	ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv)		1ख
	i	बचत बैंक से	खाi	
	ii	निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खाii	
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खाiii	
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv	
	v	अन्य	खv	
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग
	घ	धारा 56(2) (भा) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)		1घ
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घाi	
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घाii	
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घाiii	
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv	
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv	
	ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)		1 ङ
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि	
		धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय		
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		
	ङ2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)			2
	क	लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय		2क
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)		2ख
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi	
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii	
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii	
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गा से गxiv का योग)		2ग
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गाi	
	ik	115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यूनिट से किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गाक	
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गाii	
	iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गाiii	
	iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गाiv	
	v	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गv	

			vi	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज					गvi					
			vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठक में निर्दिष्ट ब्याज है					गvii					
			viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनियों या अन्य पारस्परिक आय					गviii					
			ix	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुधान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय					गix					
			x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय					गx					
			xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय					गxi					
			xii	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनियों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय					गxii					
			xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य					गxiii					
			xiv	धारा 115कख के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर					गxiv					
		घ	विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावाकृत अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासथ्रू आय (डाउनपाउंड उपलब्ध किया जाए)										2 घ	
		ड	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य के रूप में दावाकृत है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)										2 ड	
			क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1का, 1ख से 1घ, 2क, 2ग और 2घ जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			I											
			II											
3			धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ड के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)											
			क	व्यय/कटौतियाँ ("ग" में इंदराज के अलावा)						3क				
			ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)						3ख				
			ग	धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज						3ग				
			गा	धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि						3गा				
			घ	योग						3घ				
4			धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4	
5			धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5	
6			सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद)- 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i लें)										6	
7			अन्य स्रोतों से आय (दौड़ने वाले घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2+6) (6 को शून्य प्रविष्ट करें, यदि नकारात्मक है)										7	
8			दौड़ने वाले घोड़ों के स्वामित्व और उनके रखरखाव के क्रियाकलाप से आय											
			क	प्राप्तियाँ						8क				
			ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ						8ख				
			ग	धारा 58 के अधीन कटौती नहीं की गई रकमें						8ग				

	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ड	बकाया (8क - 8ख + 8ग + 8घ)					8ड	
9		“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय (7 + 8ड) (8 ड को शून्य ले, यदि नकारात्मक हो)					9	
10		अन्य स्रोतों से आय के उद्भूत/प्राप्ति होने के बारे में सूचना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरियों, क्रास वर्ड पहेली, दौड़, खेलों, जुए, बाजी आदि से जीत						
	2	धारा 115खखज के अधीन आनलाइन गेम से जीत						
	3	क्रम सं. 1क(i) में निर्दिष्ट लाभांश आय						
	4	20% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अनुसार से भिन्न, धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)						
	5	10% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)						
	6	10% की दर पर धारा 115कग के अधीन लाभांश आय						
	7	20% की दर पर धारा 115कघ(1)(i) के अधीन लाभांश आय (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) (पीटीआई आय सहित)						
	8	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची ओए		साधारण	
		क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है? ॥? • हाँ □ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)	
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
2	शाखाओं की संख्या	2	
3	पूर्व वर्ष में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) □ व्यापारिक □ नकद	3	
4	क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) □ हाँ	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्व वर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्व वर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)		☐

ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)			
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है (☐ हाँ ☐ नहीं)			
घ	धारा 145 क अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ		

अनुसूची - कारबार		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना		
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
	1	कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)		
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2क	
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख	
	3	धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीर्षों के तहत विचारणीय लाभ व हानि लेखा में जमा प्राप्तियाँ/आय	क	गृह संपत्ति
			ख	पूँजी अभिलाभ
			ग	अन्य स्रोत
			गा	लाभांश आय
			गii	लाभांश आय के अलावा
			घ	धारा 115खखज (के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत, यदि कोई हो)
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.	4क	
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
		क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क
		ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)	
		i		गा
		ii		गii
		iii	कुल (गा + गii)	5गiii
	घ	कुल आय पर छूट (5 क + 5 ख + 5 ग iii)		5 घ
	6	बकाया बह (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3घ - 3छ - 4क - 4ख - 5 घ)		
	7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क	स्वामित्व संपत्ति
			ख	पूँजी अभिलाभ
			ग	अन्य स्रोत
			घ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की कीमत के अलावा)
	8	कुल (7क + 7ख + 7ग)		8
	9	समायोजित लाभ या हानि (6 + 8)		
	10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण		
	11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
		i	धारा 32 (1)(ii) के और धारा 32(1) (ii)क) अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण	11i
		ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आयकर नियम का परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	11ii
		iii	कुल (11i + 11ii)	11iii
	12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (9 + 10 - 11iii)		
	13	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		13
	14	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		14
	15	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		15
	16	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		16

	17	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं	17			
	18	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय व्याज	18			
	19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	19			
	20	धारा 32कग / 32कघ / 33कख / 33कखक / 35कखख / 32 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क के अधीन समझी गई आय	20			
	21	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	21			
	22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22			
	23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और व्याज सहित)	23			
	24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)		24		
	25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25			
	26	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	26			
	27	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)	27			
	28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	28			
	29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	29			
	30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	30			
	31	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव	31			
	32	कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)		32		
	33	आय(12+24+33)		33		
	34	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -				
		i	धारा 44कड़	34i		
	35	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (33 + 34)		35		
	36	नियम 7क, 7ख, या 7ग 8लागू करने के पश्चात सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख, या 7ग 8लागू नहीं है तो 35की वही रकम यथाप्रविष्ट करें)		अ36		
	आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना				
		37	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	37		
		38	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	38		
	39	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां	39			
	40	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (37 + 38 + 39)	ख40			
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना					
	41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	41			
	42	धारा 28 से 44घख के अनुसार जोड़	42			
	43	धारा 28 से धारा 44 घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ(ii), 32 या 35 जिसमें धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	43			
	44	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 + 43)	44			
	45	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	45			
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)	इ46			
	47	धारा 35 अ.ई की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)	इ47			
ई48	शीर्ष 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' के अधीन प्रभार्य आय (अ36+आ40+इ46+अ3घ)		ई48			
उ	चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तः शीर्ष मुजरा					
	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह खाने को उसी दशा में भरे यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात बची हुई कारबार आय	
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)	
	i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क36)		
	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख40)			

	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग46)		
	iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			

अनुसूची सी.वाई.एल.ए. चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे						
क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्त्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			कुल हानि (अनुसूची- गृह संपत्ति का 34)	कुल हानि (अनुसूची बी.पी. के मद ड का 2 v)	कुल हानि (अनुसूची -ओ.एस का 6)	
		1	2	3	4	
	समायोजित की जाने वाली हानि					5=(1-2-3-4)
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टाबाजी से आय					
iv	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर					
viii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
ix	10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
x	20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xii	अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (घुड़दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
xiii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
xiv	मुजरा की गई कुल हानि					
xv	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची पीटीआई		धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे													
क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति ⁹⁼⁷⁻⁸	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
पास के माध्यम से आय	1. (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति										
				ii	पूँजी अभिलाभ										
					क	अल्पकालिक अवधि									
					का	धारा 111क									
					काii	अन्य									
					ख	दीर्घकालिक अवधि									
					खा	धारा 112क									
					खाii	112क से भिन्न धाराएं									
					iii	अन्य स्त्रोत									
					क	लाभांश									
					ख	अन्य									
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी									
					क	धारा के अधीन									
					ख	धाराके अधीन									
					ग	धारा.....के अधीन									
						पंक्तियां जोड़े									
				2.				i	गृह संपत्ति						
								ii	पूँजी अभिलाभ						
									क	अल्पकालिक अवधि					
									का	धारा 111क					
									काii	अन्य					
									ख	दीर्घकालिक अवधि					
									खा	धारा 112क					
									खाii	112क से भिन्न धाराएं					
									iii	अन्य स्त्रोत					
									क	लाभांश					
									ख	अन्य					
									iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
	क	धारा के अधीन													
	ख	धाराके अधीन													
	ग	धारा.....के अधीन													
		पंक्तियां जोड़े													

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची एसआई विशेष दरों से प्रभाय आय (कृपया अनुदेश देखें)						
क्र. सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर	
					(ii)	
1	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एस.टी.सी.जी)	☐	15			
2	115कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30			
3	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	10			
4	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों/ जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10			
5	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10			
6	112 (अन्य पर एल.टी.सी.जी)	☐	20			
7	112क (कारबार न्यास की साधार शेयरोंमुख निधि/ यूनिटों के साधारण शेयरों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है)	☐	10			
8	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	☐				
9	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐				
10	धारा 115कग (अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बाण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	☐	10			
11	धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	☐	10			
12	115 खख (लाटरी, पहेली, दौड़ों, खेल आदि से जीत)	☐	30			
13	115खखज (आनलाइन गेम से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)		
14	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर					
	i कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)		
	ii पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)		
15	115 खखड़ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग, या 69घ के अधीन आय)	☐	60			
16	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)		
17	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग))		
18	15% की दर पर प्रभाय अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	15			
19	30 % की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पासश्रू आय	☐	30			
20	10% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	10			
21	20% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	20			
22	धारा 112क से भिन्न 10% की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10			
23	विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासश्रू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)		
			योग			

अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय [अनुप्रयोज्य यदि छूट का दावा धारा 11 तथा 12 निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv)/ 10(23 ग (v))/ 10(23 ग (vi))/ 10(23 ग (vi)क)]						
1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य			1		
2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व			2		
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)			3		
4	(i)	धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i			
	(ii)	12कख या धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन सृजन या स्थापन की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की तारीख तक की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी., यदि क्रमशः धारा	4ii			

	11 और धारा 12 या 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi)के अधीन फायदा उक्त अवधि के दौरान दावा नहीं किया गया है			
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii		
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)		4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व		5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय		6	
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर		7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज		8	
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण		9	
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज		10	
11	आय और संदत्त ब्याज		11	
12	संदाय/प्रत्यपणीय (10 - 11)		12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान की क्रम संख्या			
17	जमा की गई रकम			

अनुसूची - खखझ धारा 115खखझ के अधीन कतिपय संस्थाओं की निर्दिष्ट आय				
क्रम सं.	विशिष्टियाँ		रकम	
1	धारा 10(23ग) या धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट समझी गई आय	1	< अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >	
2	धारा 11(1ख) के अधीन आय	2	< अनुसूची घ के स्तंभ 8 का कुल >	
3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय जिसे आय माना जाए जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	3		
4	आय जो धारा 10(23ग) के धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो।	4		
5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5		
6	संचित आय आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के आनुज्ञेय नहीं हो	6		
7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7		

अनुसूची एफएसआई			भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
क्र. सं.	देश का कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रॉप डाउन)	कर संदायकर्ता की पहचान संख्या	क्र. सं..	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या धारा 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					

घ	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाग्राही स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
										रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
	(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(i)												
(ii)													
ङ	31 दिसंबर, 2023 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
	क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
											रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(i)												
(ii)													
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों के ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या व्यवस्थापक हों												
	क्र. सं. 0	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	व्यवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	वह तारीख जब से पद धारित किया गया है	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
											रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2क)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)												
(ii)													
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
	क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
								रकम	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
	(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
	(i)												
(ii)													
टिप्पण कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।													

[illegible]

भाग -ख

आय का विवरण

भाग ख- कुल आय		तारीख 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण	
भाग ख1 - अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या धारा10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi) के अधीन छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो			
1	धारा 115खखग के अधीन स्वैच्छिक अभिदाय और अनाम संदान (कॉर्पस से भिन्न) [अनुसूची वी सी का (ग- कां- खा+ड.)]		1
2	धारा 115 खखग के अधीन अनाम संदान से भिन्न कॉर्पस का भाग बन रहा स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची भाग ख - कुल आय भाग ख 1 के (क + ख)]		2
क	धारा 80छ (2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान [अनुसूची वी.सी का कां क + खां क]	क	
	ख	उपर्युक्त से भिन्न कॉर्पस [अनुसूची वीसी का कां क + खां क]	
3	उपरोक्त 1 में सम्मिलित अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 10 (23ग)(iv), 10(23ग)(v), 10(23ग)(vi) तथा 10(23ग)(vi) में निर्दिष्ट कुल आय (अनुसूची ए आई का 10)		3
4	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट योग्य राशि		4
	क	बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या	क
	ख	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	ख
5	अनुप्रयुक्त आय (1+3-4 (क1- अनुसूची क का क1क))		5
6	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोजन :-		
	i	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीमड आवेदन, 15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क से क्रम सं. छ]	6i
	ii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की सारणी क2 की क्रम सं. 4]	6ii
	iii	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित या जमा (न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अननुज्ञात) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की सारणी एआई का क्रम सं. 4]	6iii
	iv	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त समझी गई रकम	6iv
	क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	6ivक
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6ivख
	v	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित -(अनुसूची क का क1)]	6v

	vi	उपर्युक्त V में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ - यदि धारा 11(2) और 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है। <एफ वाई 2023-24 के लिए अनुसूची आई का स्तम्भ 2>	6vi	
	क	यदि उपरोक्त (vi) लागू है, तो क्या प्ररूप संख्या 10 निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है		
	ख	यदि हा, तो प्ररूप संख्या 10 प्रस्तुत करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)		
	vii	कुल [6i + 6ii + 6iii + 6iiiा + 6iv + 6v + 6vi]	6vii	
7	जोड़ें			
	i	धारा 115खखख के अधीन प्रभार्य आय < अनुसूची 115खखख के क्रम सं. 7 का कुल >	7i	
	ii	धारा 11 के अधीन आय के संबंध में छूट अनाम संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	7ii	
	iii	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	7iii	
	iv	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(i) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(i)	7iv	
	v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
	vi	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
	Vii	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
	viii	कोई अन्य आय जिस पर आयकर अधिनियम के अधीन छूट अनुनुज्ञेय है	7viii	
	ix	कुल [7i + 7ii + 7iii + 7iiiा + 7iv + 7v + 7vi + 7vii + 7viii]	7ix	
8	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय		8	
9	धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vi) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(5-6vii) + 7ix + 8]		9	
	उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय			
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची एचपी का 3) (यदि हानि शून्य भरे)	10i	
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की मद सं घ48 के अनुसार)	10ii	
	iii	शीर्ष पूंजी अभिलाभ के अधीन आय		
	क	अल्पकालिक	10iiiा	
	का	15%की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9ii)	का	
	कii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iii)	कii	
	कiii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iv)	कiii	
	कiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vi)	कiv	
	कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कv	
	ख	दीर्घकालिक	10iiiख	
	खा	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vi)	खा	
	खii	20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vii)	खii	
	खiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9viii)	खiii	
	खiv	कुल दीर्घकालिक (खा + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य भरे)	खiv	
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ राशि (कv + खiv) (यदि हानि हों शून्य भरे)	10iiiग	
	घ	धारा 115खखख के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iiiघ	
	ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iiiङ	
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv	
	v	कुल (10i + 10ii + 10iiiङ + 10iv)	10v	
11	सकल आय [9+10]		11	
12	चालू वर्ष में 10v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xiv, 3xiv and 4xiv का योग)		12	
13	कुल आय[11-12]		13	
14	ऐसी कुल आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई स्तंभ (i) का योग)		14	
15	13 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी.सी का घiii)		15	
16	धारा 115खखख के निर्दिष्ट प्रभार्य आय जिस पर 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना है (अनुसूची 115 खखख की क्रम सं 7)		16	
17	कुल आय पर सामान्य दरों से कर लगाया जाएगा(13-14-15-16)		17	

भाग ख 2- यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23ड.ग), 10(23ड.ड.), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।					
1	धारा 10(21), 10(23कक), 10(23ख), 10(23घ), 10(23घक), 10(23ड.ग), 10(23ड.घ), 10(23ड.ड.), 10(23घख) के 10(29क) 10(46), 10(46क), 10(46ख), 10(47), [अनुसूची आईई-1 का क्रम सं. 1] अधीन छूट योग्य राशि	1			
2	धारा 10(23क), 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड.), 10(24) के अधीन छूट योग्य राशि [{अनुसूची आईई-2 का क्रम सं 1 (पंक्ति क के लिए)} or {अनुसूची आईई-3 का क्रम सं 3 } या {अनुसूची आईई-4 का क्रम सं 3 }]	2			
3	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3), के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 15 का योग]	3			
4	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय	4			
5	निर्वाचन ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)	5			
6	वर्ष के दौरान प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय [धारा 13क और 13ख के लिए लागू]	6			
7	आय शीर्ष				
i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 3] (यदि हानि हो शून्य भरें)	7i			
ii	कारबार या वृत्ति का लाभ व अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. 48 के अनुसार]	7ii			
iii	पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय				
क	अल्पकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का ए5)	7iii क			
क i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी के मद ई का 9ii)	क i			
क ii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iii)	क ii			
क iii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 9iv)	क iii			
क iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9v)	क iv			
क v	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	क v			
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का बी 4) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iii ख			
ख i	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vi)	ख i			
ख ii	20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vii)	ख ii			
ख iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9viii)	ख iii			
ख iv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य भरें)	ख iv			
ग	कुल पूंजी अभिलाभ (क v + ख iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iii ग			
घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ			
ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ङ			
iv	अन्य स्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस की मद संख्या 9 के अनुसार]	7iv			
v	कुल (7i + 7ii + 7iii ग + 7iv)	7v			
8	सकल आय [6+7v-4-5] +3	8			
9	7v के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली वर्तमान वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए की 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)	9			
10	सकल कुल आय (8-9)	10			
11	आय जो 10 में शामिल है तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का योग)	11			
12	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय	12			
13	कुल आय (10-11-12) [लागू यदि (10-11) अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य नहीं है	13			
14	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	14			

भाग ख3- अनुप्रयोज्य यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के अधीन कर प्रभार्य			
I. जनरल के भाग क के क्रम सं. अ(26) यदि हां तो धारा 10 के खंड 23(ग) या धारा 13 की उपधारा से भिन्न पूर्व बाइसवें परंतुक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करें।			
1	क्रम सं.7 से भिन्न पूर्व वर्ष के लिए कुल आय		रकम रू. में
2	निर्धारिती की वस्तुओं के लिए भारत में उपगत कुल व्यय		रकम रू. में
3	अननुज्ञात किए जाने वाला व्यय		
	(i)	ट्रस्ट या संस्था के नाम जमा कोष से व्यय, वित्तीय वर्ष के अंत पर तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है।	रकम रू. में
	(ii)	किसी ऋण या उधार से व्यय	रकम रू. में
	(iii)	आस्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अर्जन आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में; तथा	रकम रू. में
	(iv)	किसी व्यक्ति को दान या योगदान के रूप में व्यय	रकम रू. में
	(v)	पूँजीगत व्यय	रकम रू. में
	(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) या धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40क की उपधारा 3 के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा (3क) के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(ix)	कोई अन्य अननुज्ञात	रकम रू. में
	(x)	कुल व्यय जिसे अननुज्ञात किया जाना है (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi) + (vii) + (viii) + (ix)	रकम रू. में
4	योग		
	(i)	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>	रकम रू. में
	(ii)	धारा 11 के अधीन आय अनाम संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। 11(अनुसूची वी.सी का घांiii)	रकम रू. में
	(iii)	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
	(iv)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(v)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन की दशा में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(vi)	कुल योग (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi)	रकम रू. में
5	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय		रकम रू. में
6	कुल राशि [(1-2+3x)+4vii+5)]		रकम रू. में
7	उपर्युक्त में मद सं. 6 का आय भाग नहीं है		
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 3] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार]	रकम रू. में
	iii	पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
	क	अल्पकालिक	
	का	@ 15% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9ii)	रकम रू. में

	कii	@ 30% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का)	रकम रू. में
	कiii	अनुप्रयोज्य दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9iv)	रकम रू. में
	कiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9v)	रकम रू. में
	कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ख	दीर्घकालिक	
	खi	दीर्घकालिक @ 10% की दर से प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9vi)	रकम रू. में
	खii	@ 20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9vii)	रकम रू. में
	खiii	डी.टी.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 9viii)	रकम रू. में
	खiv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ग	अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (क v + ख iv) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	घ	धारा 115खखज के अधीन @ 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रू. में
	ड	कुल पूंजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रू. में
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार]	रकम रू. में
	v	कुल (7i+7ii+7iiiड +7iv)	रकम रू. में
8	7v के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानियों का मुजरा है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)		रकम रू. में
9	कुल आय (6+7-8)		रकम रू. में
10	आय जो 9 में सम्मिलित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)		रकम रू. में
11	धारा 115खखग के अधीन @ 30% के दर से 9 में सम्मिलित अनाम संदान पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची वी.सी का घiii)		रकम रू. में
12	धारा 115खखझ के अधीन @ 30% की दर से 9 में शामिल आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची 115खखझ की क्रम सं. 9)		रकम रू. में
13	धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा(10) के अधीन कर प्रभार्य आय (9-10-11-12)		रकम रू. में

भाग ख- कुल आय पर कर		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना	
संदेय कर	1	कुल आय पर संदेय कर	
	क	सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (17) भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्र. सं. (13-14) भाग-ख, कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 13, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के]	1क
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई के स्तंभ (ii) का योग)	1ख
	ग	@ 30% की दर से धारा 115खखग के अधीन अनाम संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 11, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के] अधीन	1ग
	घ	@ 30% की दर से 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3]	1घ
	ङ	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1	1ङ.
	च	कृषि आय पर छूट [भाग 2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11) भाग ख- कुल आय अधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]	1च
	छ	कुल आय पर कर संदाय (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ-1च)	1छ
	2	अधिभार	3
	i	अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय के स्तंभ (ii) का 25%	2i
	ii	पर (1छ -अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय	2ii
	iii	कुल (i + ii)	2iii
	3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)	3
	4	सकल कर दायित्व (1छ+2iii+3)	4
	5	कर राहत	
संदत्त कर	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	5क
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	5ख
	ग	कुल (5क+5ख)	5ग
	6	कुल कर दायित्व (4-5ग)	6
	7	संदेय फीस और ब्याज	
	क	विवरणी प्रस्तुत करने के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)	7ङ.
	8	कुल दायित्व (6+7ङ.)	8
	9	संदत्त कर	
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	9क
	ख	स्त्रोत पर कर की कटौती (15ख के स्तंभ 9 से)	9ख
	ग	स्त्रोत पर कर का संग्रहण (15ग के स्तंभ 7i का कुल)	9ग
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क के स्तंभ 5 से)	9घ
	ङ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)	9ङ
बैंक खाता	10	संदेय रकम (यदि 9ङ, 8 से अधिक है तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	10
	11	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)	11
	12	धारा 115नड. के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर संदेय कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)	12
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है	हां अथवा नहीं का चयन करें
	क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)	

	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	डिजीटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें(खातों का प्रकार(ई-फाइलिंग यूटीलिटी द्वारा दिए जाने वाला डापडाउन)	उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे(प्रतिदाय के लिए एक खाते को ☒ करें)
	i					
	ii					
टिप्पणः 1. डारमेट खाते के सिवाय, किसी समय में भरे गए सभी खातों (बैंक) का रिपोर्ट किया जाना 2. मल्टीपल खातों की दशा में प्रतिदाय किसी वैद्य खाते में जमा किया जाएगा प्रतिदाय विवरणी की प्रोसेसिंग के पश्चात यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं ख) अनिवासी, अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:						
	क्रं.सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन	
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आसृतियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हितधारी स्वामी, हितधारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)					☐ हां ☐ नहीं

15	कर संदाय																				
क	अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के संदायों के ब्यौरे																				
कर संदाय	क्र.सं.	बी.एस.आर कोड					जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)					चालान की क्रम संख्या					रकम(रु.) में				
	i																				
	ii																				
	iii																				
	iv																				
	v																				
	vi																				
टिप्पण ►	भाग ख-टीटीआई की क्रम संख्या 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।																				
ख	आय पर/स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 क या प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङके अनुसार]																				
क्र.सं०	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति] से संबंधित जमा टीडीएस	अन्य व्यक्ति का पेन/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार/ क्रेता का पेन/ आधार	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान काटा गया टीडीएस)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 19A एन के अधीन काटा गया।		प्रस्तुत की गई तदनुरूपी रिसीट/ आहरण		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट										
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)		कुल रकम	आय का शीर्ष									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)								
							आय टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार										
i																					

स्त्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा (संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार)										
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैना(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस(वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संग्रहित कर)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		अग्रणीत टी.सी.एस जमा
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
i									टी.सी. एस	पैन
ii										
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 9ग में स्तंभ (7)(i) का योग भरें										

सत्यापन			
मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)			
तारीख		स्थान	यहां हस्ताक्षर करें।"

[अधिसूचना सं. 24/2024/फा. सं. 370142/1/2024-टीपीएल(भाग -1)]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83(अ), तारीख 31 जनवरी, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

G.S.R 153(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for Form ITR-7, the following Form shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-7	INDIAN INCOME TAX RETURN [For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) only] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions for guidance)		Assessment Year 2024-25					
		Part A-GEN							
PERSONAL INFORMATION	(A1) Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)				(A2) PAN				
	(A4) Flat/Door/Block No		(A5) Name of Premises/Building/Village		(A3) Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY)				
					/ /				
	(A6) Road/Street/Post Office		(A7) Area/Locality		(A11) Status (see instructions)	☐	(A12) Sub Status (see instructions)		
	(A8) Town/City/District		(A9) State						
	(A10) Pin code/Zip code								
	(A13) Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1		(A14) Mobile No. 2		(A15) Email Address 1				
(A16) Email Address 2									
(A17) (i) Return furnished under section ☐ 139(4A) ☐ 139(4B) ☐ 139(4C) ☐ 139(4D)									
(ii) Please specify the section under which the exemption is claimed (dropdown to be provided)									
(A18) Whether any project/institution is run by the assessee? (Yes/No) If Yes, then please furnish the details: Details of the projects/institutions run by you									
Sl.		Name of the project/institution (see instruction)		Nature of activity (see instruction)		Classification (see instructions)			
1									
2									
3									
4									

	(A19) Details of registration/provisional registration or approval under the Income-tax Act (Mandatory, if required to be registered) (Where regular registration/approval has been granted, details of provisional registration/ approval are not required)					
Sl.	Section under which registered/provisionally registered or approved/notified	Date of registration/provisional registration or approval	Approval/ Notification/ Unique Registration No. (URN)	Approving/ registering Authority	Date from which registration/provisional registration/ approval is effective	
1	<i>(Dropdowns to be provided)</i>					
2						
(A20) Details of registration/provisional registration or approval under any law other than Income-tax Act (including the registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, registration on DARPAN portal of Niti Aayog and registration with SEBI)						
Sl.	Law under/Portal on which registered	Specify details in case 'Any other Law'	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.	Approving/ registering Authority	Date from which the registration is effective
1	<i>(Dropdowns to be provided)</i>					
2						

FILING STATUS	(A21) (ai)	Return filed u/s (Tick) [Please see instruction]	☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- after condonation of delay.													
	(a ii)	Or filed in response to notice u/s	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C													
	(b)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)														__/__/__
	(c)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter unique number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	(unique number)												__/__/__	
	(d)	Residential status? (Tick) ☐ Resident ☐ Non-resident														
	(e)	Whether any income included in total income for which claim under section 90/90A/91 has been made? ☐ Yes ☐ No [applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR]														
	(f)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -														
		(1)	Name of the representative													
		(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)													
		(3)	Address of the representative													
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative														
(g)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information															
	Name of Firm										PAN					
(h)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 crores or more):															
	LEI Number						Valid upto date				(DD/MM/YYYY)					

	(A22)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ Yes ☐ No																																																																			
		If yes, please furnish following information in respect of equity shares																																																																			
		<table border="1"> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">Opening balance</th> <th colspan="5">Shares acquired during the year</th> <th colspan="2">Shares transferred during the year</th> <th colspan="2">Closing balance</th> </tr> <tr> <th>Name of company</th> <th>Type of the company</th> <th>PAN</th> <th>No. of shares</th> <th>Cost of acquisition</th> <th>No. of shares</th> <th>Date of subscription / purchase</th> <th>Face value per share</th> <th>Issue price per share (in case of fresh issue)</th> <th>Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)</th> <th>No. of shares</th> <th>Sale consideration</th> <th>No. of shares</th> <th>Cost of acquisition</th> </tr> <tr> <th>1a</th> <th>1b</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance		Name of company	Type of the company	PAN	No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
			Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance																																																									
Name of company	Type of the company	PAN	No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition																																																								
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																								
OTHER DETAILS	(A23)	i Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then-																																																																			
		a		i		Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)?							☐ Yes ☐ No																																																								
				ii		If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts							%																																																								
		b		i		Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)?							☐ Yes ☐ No																																																								
				ii		If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts							%																																																								
		ii If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution																																																																			
		Sl.		Name of the project/Institution							Amount of aggregate annual receipts from such activities																																																										
		a																																																																			
		b																																																																			
			(A24)	i Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration/provisional registration was granted? ☐ Yes ☐ No																																																																	
ii If yes, please furnish following information:-																																																																					
A				date of such change (DD/MM/YYYY)							____/____/____																																																										
B				Whether an application for fresh registration/provisional registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A / Sub-clause (v) of Clause (ac) of sub-section (1) of section 12A							☐ Yes ☐ No																																																										
C				Whether fresh registration/provisional registration has been granted under section 12AB							☐ Yes ☐ No																																																										
D				date of such fresh registration/provisional registration (DD/MM/YYYY)							____/____/____																																																										
(A25)	Is this your first return													☐ Yes ☐ No																																																							
(A26)	Whether provisions of twenty second proviso to Section 10(23C) or Section 13(10) are applicable?													☐ Yes ☐ No																																																							
	If "Yes", please furnish below information, whether:																																																																				
(a)	Provisions of proviso to clause (15) of section 2 are applicable													☐ Yes ☐ No																																																							
(b)	Conditions specified in clause (a) of tenth proviso to 10 (23C) / sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated													☐ Yes ☐ No																																																							

	(c)	Conditions specified in clause (b) of tenth proviso to 10 (23C)/ sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated	☐ Yes ☐ No																
	(d)	Conditions specified in twentieth proviso to 10(23C)/ clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated	☐ Yes ☐ No																
	(A27)	(i) Are you liable for audit under the Income-tax Act? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No, If yes, furnish following information-																	
		(ii) Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY) 																	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a</td><td>Name of the auditor signing the tax audit report</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Membership No. of the auditor</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Name of the auditor (proprietorship/ firm)</td></tr> <tr> <td>d</td><td>Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm</td></tr> <tr> <td>e</td><td>Date of audit report</td></tr> <tr> <td>f</td><td>Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY)</td></tr> <tr> <td>g</td><td>Acknowledgement number of the audit report</td></tr> <tr> <td>h</td><td>Unique Document Identification Number (UDIN)</td></tr> </table>		a	Name of the auditor signing the tax audit report	b	Membership No. of the auditor	c	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	d	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm	e	Date of audit report	f	Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY)	g	Acknowledgement number of the audit report	h	Unique Document Identification Number (UDIN)
a	Name of the auditor signing the tax audit report																		
b	Membership No. of the auditor																		
c	Name of the auditor (proprietorship/ firm)																		
d	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm																		
e	Date of audit report																		
f	Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY)																		
g	Acknowledgement number of the audit report																		
h	Unique Document Identification Number (UDIN)																		
	(A28)	(i) If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?																	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Act and section</th><th style="width: 25%;">(DD/MM/YY)</th><th style="width: 25%;">Act and section</th><th style="width: 25%;">(DD/MM/YY)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section	(DD/MM/YY)												
Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section	(DD/MM/YY)																

(A 29) i. Particulars of persons who were members in the AOP on 31st day of March, 2024 (to be filled by venture capital fund/ investment fund)

Sl. No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ii Particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]

A	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) at any time during the previous year								
Sl.	Name	Relation	Percentage Of shareholding in case of shareholder	Whether Resident of India?	Type of Identification (Select from drop down)	Identification Number	Address	Mobile number	E-mail address

B	In case if any of persons (as mentioned in row A above) is not an individual then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person at any time during the previous year					
Sl.	Name	Whether Resident of India?	Type of Identification (Select from drop down)	Identification Number	Address	Percentage of beneficial ownership

C	Name(s) of the person(s) who has / have made substantial contribution to the trust / institution in terms of section 13(3)(b) during the previous year		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)

D	Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), trustee(s), manager(s), and substantial contributor(s) and where any such author, founder, trustee, manager or substantial contributor is a Hindu undivided family, also the names of the members of the family and their relatives at any time during the previous year		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule I		Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2) or in terms of third proviso to section 10(23C)/10(21)/10(21) read with section 35(1).					
Year of accumulation (F. Yr.)	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable/religious/Scientific research/social science or statistical research purposes upto the beginning of the previous year	Balance	Amount taxed in any earlier assessment year(s)	Balance available for application	Amounts applied for charitable or religious /Scientific research/social science or statistical research purpose during the previous year out of previous years' accumulation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
Total							

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount applied for purposes other than the purpose for which such accumulation was made (if applicable)	Amount credited or paid to any trust or institution registered u/s 12AB or approved under sub-clauses (iv)/(v)/(vi)/(via) of clause (23C) of section 10 (if applicable)	Balance amount available for application	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 11	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 11 (if applicable)	Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 (if applicable)
	(9)	(10)	(11) = (7-8-9-10)	(12)	(13)	(14)	(15) = (9+10+13+14)
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
2023-24							
Total							

[illegible]

A 2	Details of loan and borrowings							
	Opening Balance As on 01.04.2023	Loan & Borrowings taken for applications towards objectives during the year	Applied for the objects of the trust or institution during the year	Amount of repayment of loan or borrowing during the year (which was earlier applied and not claimed as application) where application from any loan or borrowing is made on or after 01.04.2021.	Financial year in which (4) was applied earlier	Total Repayment of loan or borrowing during the year	Closing Balance as on 31.03.2024	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(1+2-6)	
B	Details of corpus investment/deposits made under section 11(5) as on 31.03.2024							
	Sl. No	Investment out of	Mode of investment as per section 11(5)		Amount of investment			
	(1)	(2)	(3)		(4)			
	i	Corpus representing donation donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020	Dropdown to be provided (Please specify the nature)					
	ii	Corpus other than (i) above received on or after 01.04.2021						
	iii	Other than (i) and (ii) above						
	iv	TOTAL						
C	Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) and 21st Proviso of Section 10(23C) have a substantial interest							
	Sl. No.	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable ☒)	Number of shares held	Class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable ☒)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	ii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	iii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	iv		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	v		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
			TOTAL					

	D	Other investments as on the last day of the previous year					
		Sl. No.	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable ☒)	Class of shares held	Number of shares held	Nominal value of investment
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		i		☐ Yes ☐ No			
		ii		☐ Yes ☐ No			
		iii		☐ Yes ☐ No			
		iv		☐ Yes ☐ No			
		v		TOTAL			
	E	Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided					
		Sl. No	Name and address of the donor	Value of contribution/donation	Value of contribution applied towards objective	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		i					
		ii					
		iii					
	iv	TOTAL					

Part A-BS		CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2024			
SOURCES OF FUNDS	A Sources of Funds				
	1 Own Funds				
	a	Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020			1a
	b	Other corpus received on or after 01.04.2021			1b
	c	Corpus other than (a) and (b)			1c
	d	Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or section 11(2)			1d
	e	Balance Amount of deemed Income being exemption claimed in earlier years on account of deemed application and required to be applied in FY 2024-25 onwards			1e
	f	Any other reserve (Specify the nature)			
		i	Specify the nature	i	
		ii	Specify the nature	ii	
		iii	Total (ai + aii)		1fiii
	g	Total fund (a+ b+c+d+e+f)			1g
	2 Loan and Borrowings				
	a	Secured loans		a	
	b	Unsecured loans (including deposits)		b	
c	Total Loan Funds (a+ b)			2c	
3 Advances					
4 Sources of funds (1g + 2c +3)					
APPLICATION OF FUNDS	B Application of funds				
	1 Fixed assets				
	a	Gross Fixed Assets			1a
	b	Depreciation			1b
	c	Net Fixed Assets (1a-1b)			1c
	2 Investments				
	3 Current assets, loans and advances				
	a	Current assets			
		i	Inventories	I	
		ii	Sundry Debtors	ii	
		iii	Cash and bank balances		
		A	Balance with banks	iiiA	
		B	Cash-in-hand	iiiB	
		C	Others	iiiC	
		D	Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)		iiiD
	iv	Other Current Assets			iv
	v	Total current assets (i +ii + iiiD + iv)			av
	b	Loans and advances			B
	c	Total (av + b)			C
	d	Current liabilities and provisions			
		i	Current liabilities		
		A	Sundry Creditors	A	
		B	Other payables	B	
		C	Total (A + B)	iC	
		ii	Provisions		ii
	iii	Total (iC + ii)		diii	

		e	Net Current Assets (3c – 3diii)	3e	
	4		Accumulated balance/ Any other reserve (deficit)	4	
	5		Total, application of funds (1+2+3e+4)	5	
	6		Out of 5, Investment made in modes specified u/s 11(5)	6	
	7		Out of 5, Investment made in modes other than specified u/s 11(5)	7	

Schedule R		Reconciliation of Corpus of Schedule J and Balance sheet		
Particulars		Corpus out of the donations received for renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) on or after 01.04.2020	Other corpus received on or after 01.04.2021	Corpus other than (1) and (2)
		(1)	(2)	(3)
A. Closing balance as on 31.03.2024 as per Schedule J				
B. Reasons of difference (+/-) (Bi+Bii+Biii)				
i) Purchase of fixed asset				
ii) Depreciation				
iii) Any other reason (Please specify)				
C. Closing balance as on 31.03.2024 as per Balance sheet (A+B)				

Schedule LA		Political Party	
	1	A) Whether registered under Section 29A of Representation of People Act, 1951	☐ Yes ☐ No
	a	If yes, please enter registration number	
	b	Date of Registration	____/____/____
		B) Whether recognized by the Election Commission of India	☐ Yes ☐ No
	a	If yes, date of recognition	
POLITICAL PARTY	2	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	3	Whether the accounts have been audited? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
		If yes, furnish the following information: -	
	a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	____/____/____
	b	Name of the auditor signing the audit report	
	c	Membership No. of the auditor	
	d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
	e	Proprietorship/firm registration No.	
	f	Permanent Account Number (PAN) /Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)	
	g	Date of audit report	____/____/____
	4	Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
		If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)	____/____/____
5	a	Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year ? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	b	If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No

6	Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
7	Please furnish the following information: -	
a	Total voluntary contributions received by the party during the F.Y. (b+d)	7a
b	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 20,000 during the F.Y.	7b
ci	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 in cash during the F.Y.	7ci
cii	Aggregate value of all the voluntary contributions received upto Rs. 2,000 other than in cash during the F.Y.	7cii
d	Aggregate value of all the voluntary contributions received more than Rs. 20,000/- during the F.Y.	7d

Schedule ET		Electoral Trust	
ELECTORAL TRUST	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	3	Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	4	Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
		If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)	____/____/____
	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax? (tick as applicable ☒)	☐ Yes ☐ No
	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year	
	i	Opening balance as on 1 st April	i
	ii	Voluntary contribution received during the year	ii
	iii	Total (i + ii)	iii
	iv	Amount distributed to Political parties	iv
	v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust (Restricted to 5% of Sr.no. ii above OR 5 lakh for first year of incorporation and 3 lakh for subsequent years whichever is lesser)	v
	vi	Total (iv + v)	vi
	vii	Total amount eligible for exemption under section 13B (Sr.no. 6ii of schedule ET if Amount distributed in 6iv is 95% of 6iii)(As per rule 17CA)	vii
	viii	Closing balance as on 31 st March (iii – vi)	viii

Schedule VC		Voluntary Contributions [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]	
	A	Domestic Contribution (Other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)	
	i	Corpus donation (Aia + Aib)	
	a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Aia
	b	Corpus other than above	Aib
	ii	Other than corpus donation	
	(a)	Grants Received from Government	Aiia
	(b)	Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility	Aiib
	(c)	Other specific grants	Aiic
	(d)	Other Donations	Aiid
	(e)	Total	Aiie
	iii	Voluntary contribution Domestic (Ai + Aiie)	
			Aiii
	B	Foreign contribution (other than anonymous donations taxable u/s 115BBC)	

		i	Corpus donation (Bia + Bib)			Bi	
		a	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b)	Bia			
		b	Corpus other than above	Bib			
		ii	Other than corpus donation				Bii
		iii	Foreign contribution (Bi + Bii)			Biii	
		iv	Specify the purpose for which foreign contribution has been received			Biv	Free text box
	C	Total Contributions (Aiii + Biii)				C	
	D	Anonymous donations, chargeable u/s 115BBC [Applicable to assessee claiming exemption u/s 11 or 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via) or 10(23C)(iiia) or 10(23C)(iiiae)]					
		i	Aggregate of such anonymous donations received			i	
		ii	5% of total donations received at Sl. No. C+Di or 1,00,000 whichever is higher			ii	
iii		Anonymous donations taxable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)			iii	{to be taken as nil, if negative}	
	E	Anonymous donations other than those included at Sl. No. Diii (Di-Diii of Schedule VC)				E	

Schedule AI		Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]					
AGGREGATE OF INCOME	1	Receipts from main objects				1	
	2	Receipts from incidental objects				2	
	3	Rent				3	
	4	Commission				4	
	5	Dividend income				5	
	6	Interest income				6	
	7	Agriculture income				7	
	8	Net consideration on transfer of capital asset				8	
	9	Any other income (specify nature and amount)					
			Nature		Amount		
		a	Pass through income/Loss (Fill schedule PTI)	a			
		b		b			
		c		c			
		d		d			
		e	Total (9a+ 9b+ 9c +9d)	e		9e	
	10	Total (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+ 8 + 9)				10	

Schedule A		Amount applied to stated objects of the trust/institution during the previous year from all sources referred to in C1 to C7 of this table- [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]					
					Amount		
A	Application towards the stated objects of the trust/institution				Revenue	Capital	Total
	1	Donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus (100% of donations made need to be entered here)	1				
	1a	85% of the donation(s) made to trust or institution(s) registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)– Other than Corpus	1a				
	2	Religious	2				
	3	Relief of poor	3				
	4	Educational	4				

	5	Yoga	5			
	6	Medical relief	6			
	7	Preservation of environment	7			
	8	Preservation of monuments etc.	8			
	9	General public utility	9			
	10	Application which cannot be specifically identified under 1 to 9 above	10			
	11	Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A) (restricted to the net consideration)	11			
	12	Total (A1a to A11)	12			
B	Expenditure not allowed as application, other than application out of source of fund at C2 to C7 (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8) Note: Amount entered in Sl. No. B should be out of Sl. No. A		B			
	1	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) towards Corpus	1			
	2	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) other than towards corpus in case of donations out of accumulated income	2			
	3	Donation to trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) not having same objects	3			
	4	Donation to any person other than trust or institution registered u/s 12AB or approved u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)	4			
	5	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is obtained	5			
	6	Application outside India for which approval as per proviso to section 11(1)(c) is not obtained	6			
	7	Applied for any purpose beyond the objects of the trust or institution	7			
	8	Any other disallowable application	8			
C	Source of fund to meet revenue and capital application in Row A (to the extent amount at Sl. No. C2 to C7 is included in Sl. No. A12)		C			
	1	Income derived from the property/income earned during previous year (Excluding corpus)	1			
	2	Income accumulated as under section 11(2) or third proviso to section 10(23C) in earlier years	2			
	3	Income deemed to be applied in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12)	3			
	4	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart	4			
	5	Corpus	5			
	6	Borrowed Fund	6			
	7	Any other (Please specify)	8			
D	Total Amount applied during the previous year [A12-B-C2-C3-C4-C5-C6-C7]		D			
E	Amount which was not actually applied during the previous year out of D (if it is included in Sl. No. A12)		E			
F	Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year		F			
G	Total amount to be allowed as application (G=D-E+F)		G			

Schedule IE- 1

Income & Expenditure statement [Applicable for assessees claiming exemption under sections 10(21),10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(46A), 10(46B),10(47) {Exemptions are not subject to computational or heads of income conditions}]

	1	Total receipts including any voluntary contribution	1	
	2	Application of income towards object of the institution	2	
	3	Accumulation of income	3	

Schedule IE- 2		Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A), 10(24)] {Where certain heads of income only are taxable and other receipts reported in Row A below are exempt}	
A	1	Total receipts including any voluntary contribution (Excluding receipts falling under taxable heads to be reported as per Row B)	1
	2	Application of income towards object of the institution	2
	3	Accumulation of income	3
B	1	Do you have any income which is taxable? If Yes Please provide details (Tick) ☒	☐ Yes ☐ No
	a	Income from House Property? (If yes, Please fill Schedule HP)	1 a ☐ Yes ☐ No
	b	Income from Business or Profession (If yes, Please fill Schedule BP)	1 b ☐ Yes ☐ No
	c	Income from Capital gains (If yes, Please fill Schedule CG)	1 c ☐ Yes ☐ No
	d	Income from other Sources (If yes, Please fill Schedule OS)	1 d ☐ Yes ☐ No

Schedule IE- 3		Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiiab) or 10(23C)(iiiac)] (please fill up address for each institution separately): {Exemption is subject to Government grants exceeding fifty per cent of the total receipts including voluntary contributions}	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Total receipts including any voluntary contribution	3	
4	Government Grants out of Sl. No. 3 above	4	
5	Amount applied for objective	5	
6	Balance accumulated	6	

Schedule IE- 4		Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiid) or 10(23C)(iiiae)] (please fill up address for each institution separately): {Exemption is subject to total receipts from all the institutions/universities not exceeding five crore rupees}	
1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Gross Annual receipts	3	
4	Amount applied for objective	4	
5	Balance accumulated	5	
(Add row option to be provided for Sl. No. 1 to 5 above)			
Sum of Gross Annual receipts (Sum of Sl. No. 3)			

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer to instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)	
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City State Country PIN Code/ Zip Code
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)		
	Assessee's percentage of share in the property		
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s) (optional) Percentage Share in Property
	I		
	II		
	[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out) PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if available) PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)
	a	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)	
	b	The amount of rent which cannot be realized	1b
c	Tax paid to local authorities	1c	
d	Total (1b + 1c)	1d	

	e	Annual value (1a – 1d)		1e	
	f	30% of 1e	1f		
	g	Interest payable on borrowed capital		1g	
	h	Total (1f + 1g)		1h	
	i	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		1i	
	j	Income from house property 1 (1e – 1h + 1i)		1j	
		(fill up details separately for each property)			
	2	Pass through income/Loss if any *		2	
	3	Income under the head “Income from house property” (1j + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)		3	
	NOTE ►	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule CG		Capital Gains													
A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)															
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of capital gain)												
		Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY							
		a	i	Full value of consideration received/receivable						ai					
			ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii					
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii					
		b	Deductions under section 48												
			i	Cost of acquisition without indexation						bi					
			ii	Cost of Improvement without indexation						bii					
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biii					
			iv	Total (bi + bii + biii)						biv					
		c	Balance (aiii – biv)							1c					
		d	Deduction under section 54G/54GA (Specify details in item D below)							1d					
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										A1e		
		F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)												
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State					
		NOTE ►		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.											
		2 From slump sale													
A	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)						2ai							
	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)						2aii							
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)						2aiii							
B	Net worth of the undertaking or division						2b								
C	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)									A2c					

3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)					
	a	Full value of consideration		3a		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (3a – biv)		3c		
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		3d		
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c + 3d)			A3e	
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid			A4a	
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid			A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD					
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		aii		
		Total (ic + ii)		aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (5aiii – biv)		5c		
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d		
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c + 5d)			A5e	
	6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above				
a		i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	

		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				aii			
		iii	Total (ic + ii)				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (i + ii + iii)				biv			
	c	Balance (6aiii – biv)						6c		
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)						6d		
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets						6e		
	f	Deduction under section 54G/54GA						6f		
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)						A6g		
7	Amount deemed to be short term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?									
	☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)				
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account					
	i	2020-21	54G/54GA							
	ii	2021-22	54G/54GA							
	iii	2022-23	54G/54GA							
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54G/54GA, other than at 'a'									
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b)								A7	
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a+A8b + A8c)								A8	
	a	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%					A8a			
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%					A8b			
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates					A8c			
9	Amount of STCG included in A1 – A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA								A9a
	b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								A9b
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a)								A10	

Long-term Capital Gains	B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7& 8 are not applicable for residents)									
	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property) (in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)									
	Date of purchase/ acquisition		DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY			
	a	i	Full value of consideration received/receivable					ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority					aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]					aiii		
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition					bi		
		ii	Cost of acquisition with indexation					biia		
		iib	Total Cost of Improvement with indexation					biib		
			(a) Cost of improvement							
		(b) Year of improvement								
		(c) Cost of Improvement with indexation								
		Add row								
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biib		
		iv	Total (biia + biib + biib)					biv		
	c	Balance (aiii – biv)					1c			
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)					1d			
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e		
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State	
	NOTE ►	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.								
		In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
	2	From slump sale								
		a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)					2ai	
			ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)					2aii	
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)					2aiii	
b		Net worth of the undertaking or division					2b			
c		Balance (2aiii – 2b)					2c			
d		Deduction u/s 54EC					2d			
e		Long term capital gains from slump sale (2c-2d)						B2e		
3 From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)										
a		Full value of consideration					3a			
	Deductions under section 48									
	i	Cost of acquisition without indexation					bi			
		Cost of improvement without indexation								
		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer								
	iv	Total (bi + bii + biib)					biv			
	c	LTCG on bonds or debenture - (3a-biv)						B3c		
4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable									
	a	Full value of consideration					4a			
	b	Deductions under section 48					bi			
		Cost of acquisition without indexation								
	Cost of improvement without indexation					bii				

		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	Long Term Capital Gains on assets at B4 (4a – biv)				4c
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5					B5
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	LTCG computed without indexation benefit					B6
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD					
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (aiii-biv)				B7c
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8					B8
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable					
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition with indexation	bi		
		ii	Cost of improvement with indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
	c	Balance (aiii – biv)			9c	
	d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)			9d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)				B9e
10	Amount deemed to be long-term capital gains					

	a Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below										
	S.no		Previous year in which asset transferred		Section under which deduction claimed in		New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)		
							Previous year in which asset acquired/constructed		Amount utilised out of Capital Gains account		
	i		2020-21		54D/54G/54GA						
	ii		2021-22		54D/54G/54GA						
iii		2022-23		54D/54G/54GA							
	b Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'										
	Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + Xiii + b)										
	B10										
	11 Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)										
	B11										
	a1		Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A						B11a1		
	a2		Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A						B11a2		
	b		Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%						B11b		
	12 Amount of LTCG included in items B1 to B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a		Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA						B12a		
	b		Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA						B12b		
13 Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-B12a]											
B13											
C1 Sum of Capital Gain Incomes (9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii of table E below)											
C1											
C2 Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)											
C2											
C3 Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)											
C3											
D Information about deduction claimed against Capital Gains											
1 In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details											
a Deduction claimed u/s 54D											
i		Date of acquisition of original asset				ai		dd/mm/yyyy			
ii		Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking				aii					
iii		Date of purchase of new land or building				aiii		dd/mm/yyyy			
iv		Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				aiv					
		(iva) Date of Deposit				(ivb) Account Number		(ivc) IFS Code			
		ddmm/yyyy									
v		Amount of deduction claimed				av					

	b	Deduction claimed u/s 54EC			
		i	Date of transfer of original asset	bi	<i>dd/mm/yyyy</i>
		ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	bii	
		iii	Date of investment	biii	<i>dd/mm/yyyy</i>
	iv	Amount of deduction claimed	biv		
	c	Deduction claimed u/s 54G			
		i	Date of transfer of original asset	ci	<i>dd/mm/yyyy</i>
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii	
		iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	<i>dd/mm/yyyy</i>
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ	
			(iva) Date of deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code
			<i>dd/mm/yyyy</i>		
		v	Amount of deduction claimed	cv	
	d	Deduction claimed u/s 54GA			
		i	Date of transfer of original asset from urban area	di	<i>dd/mm/yyyy</i>
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii	
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	<i>dd/mm/yyyy</i>
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div	
			(iva) Date of Deposit	(ivb) Account Number	(ivc) IFS Code
			<i>ddmm/yyyy</i>		
		v	Amount of deduction claimed	dv	
e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)		e		

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)										
Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Loss to be set off (Fill this row → if figure computed is negative)		(A3e*+ A4a*+ A8a*)	(A5e*+ A8b*)	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)	A9b	(B4c*+ B5*+ B7c*+ B8**+ B11a1*+B11a2*)	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*)	B12b	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e*+ A4a*+ A8a*)							
iii		30%	(A5e*+ A8b*)							
iv		applicable rate	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)							
v		DTAA rates	A9b							
vi	Long term capital gain	10%	(B4c*+ B5*+ B7c*+ B8**+ B11a1*+B11a2*)							
vii		20%	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*)							
viii		DTAA rates	B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i-ix)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
F Information about accrual/receipt of capital gain										
S. No.	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)				
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15%									
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30%									
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates									
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates									
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10%									
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20%									
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates									
8	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% Enter value from item 14ii of schedule SI, if any									

Schedule VDA		Income from transfer of Virtual Digital Assets u/s 115BBH (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)						(Item No. A3d of Schedule BP)
B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from other sources				
	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1
OTHER SOURCES	a	Dividends, Gross (ai+aii)			1a	
	i	Dividend income other than (ii)			ai	
	ii	Dividend income u/s 2(22)(e)			aii	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)			1b	
	i	From Savings Bank	bi			
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)	bii			
	iii	From Income-tax Refund	biii			
	iv	In the nature of Pass-through income/Loss	biv			
	v	Others	bv			
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di	
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			dii	
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration as adjusted as per section 56(2)(x)			diii	
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			div	
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			dv	
	e	Any other income (please specify nature)			1e	

		Sl.no	Nature	Amount				
		1	Income due to disallowance of exemption under clauses of section 10					
		2	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year chargeable u/s 56(2)(xii)					
			Rows can be added as required					
2	Income chargeable at special rates (2ai + 2aii + 2b+ 2c+ 2d + 2e elements related to Sl. No. 1)						2	
	ai	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games, etc., chargeable u/s 115BB			2ai			
	aii	Winnings from online games chargeable u/s 115BBJ			2aii			
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b			
	i	Cash credits u/s 68			bi			
	ii	Unexplained investments u/s 69			bii			
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A			biii			
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B			biv			
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C			bv			
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			bvi			
	c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxiv)			2c			
	i	Dividends received by non-resident (not being a company) or a foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	ci					
	ia	Dividend received by non-resident (not being a company) or a foreign company, from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to 115A(1)(a)(A)	cia					
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii					
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii					
	iv	Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @ 5%	civ					
	v	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa) @4 %	cv					
	vi	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cvi					
	vii	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvii					
	viii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cviii					
	ix	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)	ix					
	x	Income by way of interest from bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cx					

		xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC			cxix														
		xii	Income received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)			cxix														
		xiii	Income received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD – chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)			cxix														
		xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA			cxix														
		d	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)								2d									
		e	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)								2e									
			Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1b to 1d, 2a, 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)								
			I																	
			II																	
3		Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2c, 2d & 2e)																		
	a	Expenses / Deductions (other than entered in c)							3a											
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of "schedule OS")							3b											
	c	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a)-							3c											
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(i) – computed value							3ci											
	d	Total							3d											
4	Amounts not deductible u/s 58										4									
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5									
6	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										6									
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2+6) (enter 6 as nil, if negative)										7									
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses																			
	a	Receipts							8a											
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only							8b											
	c	Amounts not deductible u/s 58							8c											
	d	Profits chargeable to tax u/s 59							8d											
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d)									8e									
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)										9									
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources																			
	S. No.	Other Source Income		Upto 15/6		From 16/6 to 15/9		From 16/9 to 15/12		From 16/12 to 15/3		From 16/3 to 31/3								
				(i)		(ii)		(iii)		(iv)		(v)								

	1	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting, etc., referred to in section 2(24)(ix)						
	2	Winnings from online games u/s 115BBJ						
	3	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI income)						
	5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						
	7	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)						
	8	Dividend income chargeable at DTAA Rates						

Schedule		General	
Do you have any income under the head business and profession? ☐ Yes ☐ No (if “yes” please enter following details)			
1	Nature of Business or profession (refer to the instructions)		1
2	Number of branches		2
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐		3
4	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes		4
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A		5
6	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		6
a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐	6a
b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐	6b
c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		6c
d	Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A		6d

Schedule BP		Computation of income from business or profession							
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business							
	1	Profit before tax as per income and expenditure account (as applicable)			1				
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2a					
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)		2b					
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income or chargeable u/s 115BBH	a	House property	3a				
			b	Capital gains	3b				
			c	Other sources	3c				
			ci	Dividend income	3ci				
			cii	other than Dividend income	3cii				
	d	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition, if any)	3d	(Item No. A of Schedule VDA)					
	4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AE			4				
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt							
		a	Share of income from firm(s)	5a					
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b					
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)						
		i		ci					
							ii	cii	
							iii	Total (ci + cii)	5ciii
	d	Total exempt income	5d						
	6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 4– 5d)				6			
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/ related to income chargeable u/s 115BBH	a	House property	7a				
			b	Capital gains	7b				
			c	Other sources	7c				
			d	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition)	7d				
	8	Total (7a + 7b + 7c+ 7d)			8				
	9	Adjusted profit or loss (6+8)				9			
	10	Depreciation and amortization debited to profit and loss account				10			
11	Depreciation allowable under Income-tax Act								
	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia)		11i					
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)		11ii					
	iii	Total (11i+11ii)		11iii					
12	Profit or loss after adjustment for depreciation (9+10-11iii)				12				
13	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36			13					
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			14					
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			15					
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			16					
17	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			17					
18	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			18					
19	Deemed income under section 41			19					
20	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A			20					
21	Deemed income under section 43CA			21					
22	Any other item of addition under section 28 to 44DB			22					

		23	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)			23				
		24	Total (13+ 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)					24		
		25	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			25				
		26	Amount allowable as deduction under section 32AC			26				
		27	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 23)			27				
		28	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			28				
		29	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			29				
		30	Any other amount allowable as deduction			30				
		31	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock			31				
		32	Total (25+26+27+28+29+30+31)					32		
		33	Income (12+24-32)					33		
		34	Profits and gains of business or profession deemed to be under -							
			i	Section 44AE		34i				
		35	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (33+34)					35		
		36	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 35)					A36		
	B	Computation of income from speculative business								
		37	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account					37		
		38	Additions in accordance with section 28 to 44DB					38		
		39	Deductions in accordance with section 28 to 44DB					39		
		40	Income from speculative business) (37+38-39)					B40		
	C	Computation of income from specified business under section 35AD								
		41	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account					41		
		42	Additions in accordance with section 28 to 44DB					42		
		43	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)					43		
		44	Profit or loss from specified business) (41+42-43)					44		
		45	Deductions in accordance with section 35AD(1)					45		
		46	Income from Specified Business) (44-45)					C46		
		47	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)					C47		
	D48	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A36+B40+C46+A3d)							D48	
	E	Intra head set off of business loss of current year								
		Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off				
				(1)	(2)	(3) = (1) - (2)				
		i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A36)					
		ii	Income from speculative business	(B40)						
		iii	Income from specified business	(C46)						
		iv	Total loss set off (ii + iii)							
		v	Loss remaining after set off (i - iv)							

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
				Total loss (3 of Schedule –HP)	Total loss ((2v of item E) of Schedule-BP)	Total loss (6 of Schedule-OS)	
			1	2	3	4	(5) = (1-2-3-4)
		Loss to be adjusted ->					
	i	House property					
	ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)					
	iii	Speculation income					
	iv	Specified business income u/s 35AD					
	v	Short-term capital gain taxable @15%					
	vi	Short-term capital gain taxable @ 30%					
	vii	Short-term capital gain taxable at applicable rates					
	viii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA					
	ix	Long term capital gain taxable@ 10%					
	x	Long term capital gain taxable @ 20%					
	xi	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA					
	xii	Net Income from Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
	xiii	Profit from owning and maintaining race horses					
	xiv	Total loss set-off					
	xv	Loss remaining after set-off					

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB								
PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(drop down to be provided)			i	House property				
					ii	Capital Gains				

						A	Short term				
						ai	Section 111A				
						aii	Others				
						B	Long term				
						bi	Section 112A				
						bii	Sections other than 112A				
						iii	Other Sources				
						a	Dividend				
						b	Others				
						iv	Income claimed to be exempt				
						A	u/s				
							Add row to be provided				
						i	House property				
						ii	Capital Gains				
						A	Short term				
2.						ai	Section 111A				
						aii	Others				
						B	Long term				
						bi	Section 112A				
						bii	Section other than 112A				
						iii	Other Sources				
						A	Dividend				
						B	Others				
						iv	Income claimed to be exempt				
						A	u/s				
							Add row to be provided				

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction]				
SPECIAL RATE	Sl. No.	Section	☐	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A (STCG on shares where STT paid)	☐	15		
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30		
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10		
	4	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10		
	5	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	10		
	6	112 (LTCG on others)	☐	20		
	7	112A(LTCG on equity shares/units of equity oriented fund/units of business trust on which STT is paid)	☐	10		
	8	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	☐			
	9	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐			
	10	115AC (Income by way interest received by non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10		

11	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10		
12	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30		
13	115BBJ (Winnings from online games)	☐	30	(2a ii of Schedule OS)	
14	115BBH- Tax on Income from Virtual Digital asset				
	(i) Income under head business or profession	☐	30	(3d of Schedule BP)	
	(ii) Income under head Capital Gain	☐	30	(C2 of Schedule CG)	
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60		
16	Any other income chargeable at special rate (Please choose from drop down menu)	☐		(part of 2c of schedule OS)	
17	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2e of schedule OS)	
18	Pass through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15		
19	Pass through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30		
20	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	☐	10		
21	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20		
22	Pass through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% other than section 112A	☐	10		
23	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	☐		(2d of schedule OS)	
Total					

Schedule 115TD Accreted income under section 115TD (Applicable if exemption claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via)

1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of specified person	1	
2	Less: Total liability of specified person	2	
3	Net value of assets (1 – 2)	3	
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i	
	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration/provisional registration/approval u/s 12AB or 2 nd Proviso to section 10(23C), if benefit u/s 11 and 12 or section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) respectively not claimed during the said period	4ii	
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii	
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	Liability in respect of assets at 4 above	5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]	6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate	7	
8	Interest payable u/s 115TE	8	
9	Specified date u/s 115TD	9	
10	Additional income-tax and interest payable	10	
11	Tax and interest paid	11	
12	Net payable/refundable (10 - 11)	12	
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY
14	Name of Bank and Branch		
15	BSR Code		
16	Serial number of challan		
17	Amount deposited		

Schedule 115BBI Specified income of certain institutions under section 115BBI			
	Particulars		Amount
1	Deemed income referred in Explanation 4 to the third proviso to section 10(23C) or section 11(3)	1	<Total of Col 15 of Schedule I >
2	Deemed income referred under section 11(1B)	2	< Total of Col 8 of Schedule D>
3	Income which is deemed to be income under the twenty-first proviso to Section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(c)	3	
4	Income which is not exempt under section 10(23C) on account of violation of clause (b) of the third proviso of section 10(23C) or which is not excluded from the total income as per section 13(1)(d)	4	
5	Income which is not excluded from the total income as per section 11(1)(c)	5	
6	Income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of this Act;	6	
7	Total (total of Sl. No. 1 to 6)	7	

Schedule FSI Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)										
INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code (Dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
					Total					
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
					Total					
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)						
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			Total			
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3

[illegible]

Part-B

Part B – TI		STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH, 2024		
Part B1 – Applicable if exemption is being claimed u/s 11 and 12 or 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) and where Part B3 is not applicable.				
1	Voluntary Contributions and anonymous donations taxable u/s 115BBC (Other than Corpus) [(C- Ai-Bi+E) of Schedule VC]			1
2	Voluntary contribution forming part of corpus other than anonymous donations taxable u/s 115BBC [(A + B) of schedule Part B-TI -Part B1]			2
	A	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified u/s 80G(2)(b) [Aia +Bia of Schedule VC]		A
	B	Corpus other than above [Aib +Bib of Schedule VC]		B
3	Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 above (10 of Schedule AI)			3
4	Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)			4
	A	Approval number given by the Board		A
	B	Date of approval by board		B
5	Income to be applied [1+3-4-(A1-A1a of Schedule A)]			5
6	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-			
	i	Amount applied during the previous year [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i. e. not from the income of prev. year] [Sr.no. G from Schedule A]		6i
	ii	Repayment of loan during the previous year- [Sr.no. 4 of table A2 of Schedule J]		6ii
	iii	Amount applied during the previous year- invested or deposited back into specified mode of Corpus fund (disallowed earlier on application of fund for object of trust/institution) invested or deposited back, into one or more of the forms or modes specified in Section 11(5) maintained specifically for such corpus, from the income of that year and to the extent of such investment or deposit [Sr.no. 4 of table A1 of Schedule J]		6iii
	iv	Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1) < Col 2 of Schedule D for FY 2023-24>		6iv
	A	If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer		A
	B	If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)		B
	v	Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) {restricted to maximum of 15% of [(1 +3 above) -(A1 of Schedule A)]}		6v
	vi	Amount in addition to amount referred to in (v) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled) <Col 2 of Schedule I for FY 2023-24>		6vi
	A	If (vi) above applicable, whether option in Form No. 10 has been furnished to the Assessing Officer		A
	B	If yes, date of furnishing Form No. 10 (DD/MM/YYYY)		B
	vii	Total [6i+6ii+6iii+6iv+6v+6vi]		6vii
7	Additions			
	i	Income chargeable under section 115BBI <Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>		7i
	ii	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (Diii of schedule VC)		7ii
	iii	Income chargeable under section 12(2)		7iii
	iv	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s. 40(a)(ia)		7iv
	v	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s. 40A(3)/(3A)		7v
	vi	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)		7vi
	vii	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)		7vii
	viii	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act		7viii
	ix	Total [7i+7ii+7iii+7iv+7v+7vi+7vii+7viii]		7ix
8	Income chargeable u/s 11(4)			8

9	Gross income after Exemption u/s 11/10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) [(5-6vii)+7ix+8]	9	
10	Income not forming part of item No. 9 above		
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)	10i
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]	10ii
	iii	Income under the head Capital Gains	
	A	Short term	10iiiA
	Ai	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	Ai
	Aii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	Aii
	Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	Aiii
	Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	Aiv
	Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii+ Aiv) (enter nil if loss)	Av
	B	Long term	10iiiB
	Bi	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	Bi
	Bii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	Bii
	Biii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	Biii
	Biv	Total Long-term (Bi + Bii + Biii) (enter nil if loss)	Biv
	C	Sum of Short-term/Long-term capital gains (Av+Biv) (enter nil if loss)	10iiiC
	D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	10iiiD
	E	Total capital gains (C + D)	10iiiE
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	10iv
	v	Total (10i + 10ii + 10iiiE + 10iv)	10v
11	Gross income (9+10)	11	
12	Losses of current year to be set off against 10v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)	12	
13	Total Income (11-12)	13	
14	Income which is included in 13 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)	14	
15	Anonymous donations, included in 13, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)	15	
16	Specified Income chargeable u/s 115BBI, included in 13, to be taxed @ 30% (Sl. No. 7 of Schedule 115BBI)	16	1
17	Aggregate Income to be taxed at normal rates (13-14-15-16)	17	

Part B2 - Applicable if exemption is being claimed under section 13A/13B and under sections 10(21), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)					
1	Amount eligible for exemption under sections 10(21), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(46A), 10(46B), 10(47) [Sl. No. 1 of Schedule IE-1]			1	
2	Amount eligible for exemption under section 10(23A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiiae), 10(24) [{Sl. No. 1 of Schedule IE-2 (For Row A)} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-3} or {Total of Sl. No. 3 of Schedule IE-4}]			2	
3	Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21) [Total of Col 15 of Schedule I]			3	
4	Income claimed as exempt under section 13A in case of a Political Party			4	
5	Income claimed as exempt under section 13B in case of an Electoral Trust (item No. 6vii of Schedule ET)			5	
6	Voluntary Contribution received during the year [applicable for sections 13A and 13B]			6	
7	Heads of Income				
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)		7i	
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 48 of schedule BP]		7ii	
	iii	Income under the head Capital Gains			
	A	Short term (A5 of schedule CG)	7iiiA		
	Ai	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	Ai		
	Aii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	Aii		
	Aiii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	Aiii		
	Aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	Aiv		
	Av	Total Short-term (Ai + Aii + Aiii + Aiv)	Av		

		(enter nil if loss)			
	B	Long term (B4 of schedule CG) (enter nil if loss)	7iiiB		
	Bi	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	Bi		
	Bii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	Bii		
	Biii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	Biii		
	Biv	Total Long-term (Bi + Bii + Biii) (enter nil if loss)	Biv		
	C	Sum of Short-term/Long-term capital gains (Av+Biv) (enter nil if loss)	7iiiC		
	D	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	7iiiD		
	E	Total capital gains (C + D)	7iiiE		
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	7iv		
	v	Total (7i + 7ii + 7iiiE + 7iv)	7v		
8	Gross income [6+7v-4-5] +3				8
9	Losses of current year to be set off against 7v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)				9
10	Gross Total Income (8-9)				10
11	Income which is included in 10 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)				11
12	Net Agricultural income for rate purpose				12
13	Aggregate Income (10-11+12) [applicable if (10-11) exceeds maximum amount not chargeable to tax]				13
14	Income chargeable at maximum marginal rates				14

Part B3- Applicable if total income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to section 10(23C) or section 13(10)

If yes in Sl. No. A(26) of Part A-General, please the provide computation of Income chargeable under twenty second proviso to Clause (23C) of section 10/Sub-section (10) of section 13			
1	Total Income for the previous year other than Sl. No. 7		Amount in Rs.
2	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the assessee		Amount in Rs.
3	Expenditure to be disallowed		
	(i)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed	Amount in Rs.
	(ii)	Expenditure from any loan or borrowing	Amount in Rs.
	(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year; and	Amount in Rs.
	(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.	Amount in Rs.
	(v)	Capital expenditure	Amount in Rs.
	(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	Amount in Rs.
	(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-section 3 of section 40A	Amount in Rs.
	(viii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with section (3A) of section 40A	Amount in Rs.
	(ix)	Any other disallowance	Amount in Rs.
	(x)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)	Amount in Rs.
4	Additions		
	(i)	Income chargeable under section 115BBI <Total of Sl. No 7 of Schedule 115BBI>	Amount in Rs
	(ii)	Income in respect of which exemption under section 11 is not available, being anonymous donation (<i>Diii of schedule VC</i>)	Amount in Rs
	(iii)	Income chargeable under section 12(2)	Amount in Rs
	(iv)	Income as per Explanation 3B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of	Amount in Rs

		Explanation 3A to section 11(1) read with section 80G(2)(b)	
	(v)	Income as per Explanation 1B in case of violation of clause (a) or (b) or (c) of Explanation 1A to section 10(23C) read with section 80G(2)(b)	Amount in Rs
	(vi)	Any other income on which exemption is not allowable under the Income-tax Act	Amount in Rs
	(vii)	Total Additions (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	Amount in Rs
5		Income chargeable u/s 11(4)	Amount in Rs
6		Sum total [(1-2+3x)+4vii+5)]	Amount in Rs
7		Income not forming part of item No. 6 above	
	i	Income from house property [3 of Schedule HP] (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D48 of schedule BP]	Amount in Rs.
	iii	Income under the head Capital Gains	
	a	Short term	
	ai	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aai	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aiii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	aiv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	Amount in Rs.
	av	Total Short-term (ai + aai + aiii + aiv) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	b	Long term	
	bi	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	bii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	biii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	Amount in Rs.
	biv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (av+biv) (enter nil if loss)	Amount in Rs.
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	Amount in Rs.
	e	Total capital gains (c + d)	Amount in Rs.
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]	Amount in Rs.
	v	Total (7i+7ii+7iii+7iv)	Amount in Rs.
8		Losses of current year to be set off against 7v (total of 2xiv, 3xiv and 4xiv of Schedule CYLA)	Amount in Rs.
9		Total Income (6+7-8)	Amount in Rs.
10		Income which is included in 9 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)	Amount in Rs.
11		Anonymous donations, included in 9, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)	Amount in Rs.
12		Income chargeable u/s 115BBI, included in 9, to be taxed @ 30% (Sl. No 7 of Schedule 115BBI)	Amount in Rs.
13		Income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 (9-10-11-12)	Amount in Rs.

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income				
	1	Tax payable on total income				
	a	Tax at normal rates on [Sl. No. 17 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. (13 - 14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of Part B-TI]	1a			
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	1b			
	c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on [Sl. No. 15 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 11 of Part B3 of Part B-TI]	1c			
	d	Tax on income chargeable u/s 115BBI @30% on [Sl. No. 16 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 12 of Part B3 of Part B-TI]	1d			
	e	Tax at maximum marginal rate on Sl. No. 14 of Part B2 of Part B-TI	1e			
	f	Rebate on agricultural income [In Part B2, applicable if (10-11) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1f			
	g	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d+1e- 1f)			1g	
	2	Surcharge				
		i	25% of Column (ii) of “Income under section 115BBE” of Schedule SI	2i		
ii		On [1g – (Column (ii) of “Income under section 115BBE” of Schedule SI)]	2ii			
iii		Total (i + ii)			2iii	
3		Health and Education cess @ 4% on (1g+ 2iii)			3	
4		Gross tax liability (1g+ 2iii + 3)			4	
5		Tax relief				
a		Section 90/90A (2 of Schedule TR)	5a			
b		Section 91 (3 of Schedule TR)	5b			
c		Total (5a + 5b)			5c	
6		Net tax liability (4 – 5c)			6	
	7	Interest and fee payable				
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	7a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	7b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	7c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	7d			
	e	Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d)			7e	
	8	Aggregate liability (6 + 7e)			8	
	TAXES PAID	9	Taxes Paid			
		a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	9a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)	9b		
c		TCS (total of column 7(i) of 15C)	9c			

	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)										9d																				
	e	Total Taxes Paid (9a+ 9b+ 9c+ 9d)																				9e										
	10	Amount payable (Enter if 8 is greater than 9e, else enter 0)																				10										
	11	Refund (If 9e is greater than 8) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)																				11										
	12	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)																				12										
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India										Select Yes or No																				
	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)																															
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India				Name of the Bank				Account Number				Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)																	
	i																															
	ii																															
	Note:																															
	1) All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c																															
	2) In case of multiple accounts, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return																															
	Rows can be added as required																															
	b) Non- residents, may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:																															
	Sl. No.	SWIFT Code				Name of the Bank				Country of Location				IBAN																		
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]										☐ Yes ☐ No																				

15 TAX PAYMENTS																	
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																	
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 9a & 9d of Part B-TTI															
B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16D/16E furnished by Deductor(s)]																	
Sl No	TDS credit relating to self / other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhar of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhar of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY2023-24)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year), not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipts/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward					
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
							Income TDS		Income TDS	PAN/ Aadhaar							

i															
C	Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]														
TCS	Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [as per rule 37-I]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year (tax collected during the FY 2023-24)		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward		
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37-I (if applicable)					
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)				
	i									TCS	PAN				
	NOTE ► Please enter total of column (7)(i) in 9c of Part B-TTI														

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)		
Place	Date	Sign here ➡

[Notification No. 24/2024/F. No. 370142/1/2024-TPL(Part-1)]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.

Note:- The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 83(E), dated the 31st January, 2024.

